पत्रांक–3प/मु०मं०नि०यो०–19–15/2022/6153/पं०रा०

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

प्रेषक,

डॉ रणजीत कुमार सिंह, भा०प्र०से०
निदेशक।

सेवा में,

सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी,
बिहार ।

पटना, दिनांक–05/7/2022

विषयः– मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अनुरक्षण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि मुख्यमत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अनुरक्षण मद की राशि के भुगतान हेतु विभिन्न प्रखण्डस्तरीय अनुरक्षण एजेंसी द्वारा मार्गदर्शन की अपेक्षा विभाग से की गई है।

ज्ञातव्य है कि विभिन्न विभागीय पत्रों/स्वीकृत्यादेश एवं संकल्प के माध्यम से इसके निमित्त प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जिससे सभी जिलास्तरीय योजना क्रियान्वयन एवं अनुरक्षण एंजेंसी को अवगत कराया जाता रहा है। संदर्भित है कि विभागीय संकल्प–2935 दिनांक 22.06.2021 की कंडिका–7(क)(i) में पेयजल आपूर्ति योजना के दीर्घकालीन अनुरक्षण हेतु प्रावधानित है कि "15वें वित्त आयोग के अनुदान राशि की प्राप्ति के सात दिनों में पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा प्रतिमाह 4000/–की दर से अनुदान राशि हस्तांतरित की जायेगी। पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत द्वारा इस राशि को वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के खाते में हस्तांतरित किया जायेगा, जिससे अनुरक्षक को 2000/–प्रतिमाह की दर से मानदेय एवं शेष 2000/– का उपयोग जलापूर्ति योजनाओं के अनुरक्षण में किया जायेगा" । पुनः संकल्प की कंडिका–7(क)(ii) वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति द्वारा संग्रहित उपभोक्ता शुल्क का 50 प्रतिशित राशि का उपयोग जलापूर्ति योजना के अनुरक्षण हेतु किया जायेगा।

सरकार की इस अति महत्वकांक्षी योजना के सतत् क्रियान्वयन हेतु विभागीय संकल्प–2935 दिनांक 22.06.2021 की कंडिका–8 के अनुसार रख–रखाव हेतु वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं उसके बाद आगामी 4 वित्तीय वर्ष में आवश्यक राशि की व्यवस्था पंचायतों को प्राप्त राज्य योजना/राज्य वित्त आयोग के अनुदान मद से की जायेगी। जिसके आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–27(स्वी०) दिनांक 13.09.2021 में वित्तीय वर्ष 2021–2026 तक पाँच वित्तीय वर्षों हेतु 15वें वित्त आयोग की टाईड मद की 30 प्रतिशत राशि को Supply of drinking water, rain water harvesting & water recycling में खर्च करने का प्रावधान दिया गया है। साथ ही, ग्राम पंचायत द्वारा टाईड अनुदान की 30 प्रतिशत राशि को मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अनुरक्षण एवं रख–रखाव हेतु, सार्वजनिक कुँओं का

जीर्णोद्धार एवं छठ घाट का निर्माण में खर्च करने का प्रावधान दिया गया है। विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–58(स्वी०) दिनांक 11.03.2022 में षष्ठम् राज्य वित्त आयोग की अनुरक्षण निधि से प्लम्बर कार्य, पेयजल पाईपलाईन एवं फिटिंग्स/मरम्मति एवं उनका रख–रखाव करने एवं सामान्य निधि की राशि को भी पेयजल आपूर्ति में खर्च करने का प्रावधान वर्णित है।

यथा उल्लिखित परिपेक्ष्य में निदेशित किया जाता है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योज़ना के अनुरक्षण हेतु राशि का भुगतान 15वें वित्त आयोग के अनुदान की राशि 4000/ प्रतिमाह से, 15वें वित्त आयोग के टाईड मद की 30 प्रतिशत राशि से एवं षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुरक्षण निधि एवं सामान्य निधि से किया जाना अपेक्षित है। प्रावधानानुरूप 15वें वित्त आयोग की टाईड मद की 30 प्रतिशत राशि में प्राथमिकता ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अनुरक्षण एवं रख–रखाव को देते हुये अविलंब सभी वार्डों में लघु मरम्मति का कार्य प्रारंभ/पूर्ण किया जाय। लघु मरम्मति का कार्य पूर्ण होने के उपरांत एवं ज़लापूर्ति प्रारंभ होने के एक सप्ताह के भीतर प्राथमिकता के आधार पर उपर्युक्त संदर्भित मदों से कार्यकारी एज़ेंसी को राशि का भुगतान 07(सात) दिनों में कराया जाना सुनिश्चित किया जाय। अनुरक्षण एजेंसी को विपत्र भुगतान में अनावश्यक विलंब को विभाग द्वारा गंभीरता से लिया जायेगा एवं दोषी योजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण इकाई के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन

4/7/22

(डॉ रणजीत कुमार सिंह)
निदेशक

4/7/22